

रा.आ.बैंक(नदि)/डीआरएस/नीति सं. 35 /2010

11 अक्टूबर, 2010

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को

महोदय,

आवास वित्त कंपनियों के लिए आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली-दिशानिर्देश

आवास वित्त कंपनियों द्वारा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली अपनाने के लिए दिशानिर्देश बैंक द्वारा अपने परिपत्र राआबैंक(नदि)/एचएफसी(डीआरएस-आरईजी)/एएलएम/1407/2002 दिनांक 28 जून, 2002 द्वारा जारी किये गए थे ।

2. संशोधित दिशानिर्देश सभी आवास वित्त कंपनियों पर लागू होंगे चाहे वे सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार/ धारित करती हों या नहीं । सभी आवास वित्त कंपनियों को आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली को अपनाना होगा । अल्पकालीन गतिशील चलनिधि की विवरणी की आवधिकता त्रैमासिक होगी और ढांचागत चलनिधि और ब्याज दर विवरणी छमाही होगी । तिमाही अल्पकालीन गतिशील चलनिधि विवरणी संबंधित तिमाही समाप्त होने के बाद 10 दिनों में और ढांचागत चलनिधि तथा ब्याज दर छमाही विवरणी संबंधित छमाही समाप्त होने के बाद 20 दिनों में उन आवास वित्त कंपनियों द्वारा रा.आ. बैंक को प्रस्तुत की जाएगी जो 31 मार्च, 2010 के संपरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 100 करोड़ रु. (चाहे सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार/धारित करती हों या नहीं) के आस्ति आधार के मानदंड या 20 करोड़ रु. या अधिक (चाहे उनका आस्ति आकार कुछ भी हो) की सार्वजनिक जमा राशियां रखती हों। इसके अतिरिक्त, सभी आवास वित्त कंपनियां दिशानिर्देशों में उल्लेखानुसार तुलन पत्र में कुछ अन्य विवरण भी देंगी ।

3. दिशानिर्देशों के तहत, प्रथम दो समय अवधियों (यथा 1 - 14 दिन और 14 दिन से अधिक एक माह तक) में नकारात्मक अंतरालों के लिए विवेकसम्मत मानदंड चलनिधि अंतराल सीमाएं प्रत्येक समयावधि में बाह्य नकदी प्रवाह के 15 प्रतिशत और एक वर्ष की अवधि तक समेकित अंतराल एक वर्ष तक समेकित नकदी बाह्य प्रवाह के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । विभिन्न समयावधियों में ब्याज दर अंतरालों के लिए, विवेक सम्मत सीमाएं प्रत्येक आवास वित्त कंपनी के बोर्ड / प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी । ये विवेक सम्मत सीमाओं को कुल आस्तियों, अर्जन आस्तियों या इक्विटी से संबंधित होना चाहिए ।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित विस्तृत एएलएम नीति और जोखिम प्रबंधन नीति राष्ट्रीय आवास बैंक को 31 दिसम्बर, 2010 से पहले भेजी जाए ।

5. कृपया पावती दें ।

भवदीय

(आर.एस. गर्ग)

महाप्रबंधक

विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न : यथोपरि

आवास वित्त कंपनियों में आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के लिए दिशा-निर्देश

आवास वित्त कंपनियों द्वारा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) की शुरूआत करने के लिए बैंक द्वारा दिशा निर्देश अपने परिपत्र सं. राआबैंक(नदि)/एचएफसी(डीआरएस-आरईजी)/एएलएम/1407/2002 दिनांक 28 जून, 2002 द्वारा जारी किये गए। चूंकि आवास वित्त कंपनियों का परिचालन शुरू होने पर आस्ति देयता असंतुलन और ब्याज दर जोखिम में भी वृद्धि होने लगी, एएलएम प्रणाली को आवास वित्त कंपनियों के लिये उनकी समग्र प्रणाली के भाग स्वरूप शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि उनके विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन प्रभावशाली हो सके। हालांकि, पिछले दिनों अन्तर्राष्ट्रीय उथल-पुथल और आवास वित्त कंपनियों के क्रियाकलापों से सम्बद्ध वृद्धित प्रणालीगत जोखिम के बारे में अनुवर्ती बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुए, बैंक ने दिशा निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय किया। आवास वित्त कंपनियों में आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के अद्यतन दिशा निर्देशों की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

2. प्रयोज्यता

आवास वित्त कंपनियों में आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के लिए उक्त उल्लिखित दिशा निर्देश सभी आवास वित्त कंपनियों पर लागू होंगे चाहे वे सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार/धारित करती हों या नहीं। सभी आवास वित्त कंपनियों द्वारा एएलएम प्रणाली को लागू करना होगा।

3. रिपोर्टिंग

अल्पकालिक गतिशील चलनिधि विवरणी की आवधिकता मासिक और ढांचागत चलनिधि एवं ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की छमाही होगी। तिमाही विवरणी तिमाही समाप्त होने जिससे वह संबंधित है, से 10 दिनों में और छमाही विवरणी छमाही समाप्त होने जिससे वह संबंधित है, से 20 दिनों में रा.आ. बैंक को उन आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी जो 31 मार्च, 2010 को संपरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 100 करोड़ रु. का आस्ति आधार (चाहे सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार/धारित करती हों या नहीं) रखती हों या 20 करोड़ रु. या अधिक (उनका आस्ति आकार कुछ भी हो) की सार्वजनिक राशियां रखती हों।

4. तुलन-पत्र में अतिरिक्त प्रकटीकरण

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आवास वित्त कंपनी अपने तुलन-पत्र में 31 मार्च को समाप्त वर्ष से निम्नलिखित से संबंधित उल्लेख करेगा :

- i. जोखिम आस्ति अनुपात की पूंजी (सीआरएआर)
- ii. भू सम्पदा क्षेत्र में निवेश, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और
- iii. आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता पद्धति

5. आवास वित्त कंपनियां सामान्य रूप से, आस्ति-देयता रूपान्तरण के कारण, ऋण और बाजार जोखिम में निवेश करती हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय वित्त बाजार में उदारीकरण और घरेलू बाजारों का विदेशी बाजारों के

साथ बढ़ते समामेलन के कारण, आवास वित्त कंपनियों के परिचालनों से सम्बद्ध जोखिम जटिल एवं बड़े बन गये हैं जिस कारण रणनीतिक प्रबंधन अपेक्षित हो गया है। आवास वित्त कंपनियां अधिकांशतः अ-विनियमित वातावरण में काम कर रही हैं और उन्हें स्वयं अपने आप ही एक गतिशील आधार पर अग्रिमों और जमाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण करना होता है, किंतु निर्धारित अधिकतम ब्याज दर सीमा तक जिसे वे जमा राशियों पर दे सकती हैं। सरकार में आवास वित्त कंपनियों के निवेशों और अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें भी बाजार से संबंधित होती हैं। आस्तियों और देयताओं दोनों से संबंधित कारोबार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण आवास वित्त कंपनियों के प्रबंधन पर भारी दबाव आ गया है कि विस्तार, लाभप्रदता और दीर्घ-कालीन उपयोज्यता में बेहतर संतुलन बनाये रखा जाये। इन दबावों से निपटने के लिए ढांचागत और विस्तृत उपाय करने की जरूरत है और न कि केवल तदर्थ कार्रवाई की जरूरत है। आवास वित्त कंपनियों के प्रबंधन को अपने कारोबारी निर्णय एक गतिशील प्रबंध प्रणाली और कारपोरेट रणनीति से प्राप्त प्रक्रिया के आधार पर लेने होते हैं। आवास वित्त कंपनियों को अपने कारोबार में अनेक बड़े जोखिमों यथा ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, परिचालन जोखिम आदि का सामना करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि आवास वित्त कंपनियां ऐसी प्रभावी जोखिम प्रबंध प्रणालियां विकसित करें जिससे ब्याज दर और चलनिधि जोखिम संबंधी समस्याएं हल हो जाएं।

6. आवास वित्त कंपनियों से अपना जोखिम प्रबंधन उन्नत करके और अधिक विस्तृत आस्ति-देयता प्रबंधन प्रक्रियाओं को अब से अधिक विस्तृत रूप में स्वीकार करके इन जोखिमों को दूर करना है। आस्ति-देयता प्रबंधन, अन्य कार्यों के साथ-साथ, जोखिम प्रबंधन से भी संबंधित है और आवास वित्त कंपनियों की चलनिधि को मापने, मानीटरिंग व प्रबंधन करने तथा ब्याज दर जोखिम के लिए विस्तृत और गतिशील ढांचा उपलब्ध कराता है जिसे आवास वित्त कंपनियों की कारोबारी रणनीति से घनिष्ठता से सम्बद्ध करने की जरूरत है। इसमें विभिन्न प्रकार के जोखिमों का मूल्यांकन और गतिशील तरीके से आस्ति-देयता मद को परिवर्तित करना शामिल है ताकि जोखिम का प्रबंधन किया जा सके।

7. एक विस्तृत एएलएम नीति जिसमें आस्ति देयता प्रबंधन समिति जैसे एल्को का गठन करना शामिल है, और विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति राष्ट्रीय आवास बैंक को 31 दिसम्बर, 2010 से पहले भेज देना चाहिए।

8. नोट में चलनिधि प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम जो एएलएम कार्य का एक हिस्सा होता है, के लिए प्रणालियों के बारे में आवास वित्त कंपनियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिये गए हैं। एएलएम कार्य प्रणाली में सर्वप्रथम बाजार जोखिम प्रबंधन यथा सन्निहित बाजार जोखिम के मूल्यांकन के बाद कारोबार को व्यवस्थित करना, के अनुशासन को लागू करने की ओर होगा। एक उत्तम जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक उपकरण तैयार करना होना चाहिए।

9. आस्ति देयता प्रबंधन प्रक्रिया तीन स्तंभों पर आधारित है :

- आस्ति देयता प्रबंधन सूचना प्रणाली
 - प्रबंधन सूचना प्रणाली
 - सूचना उपलब्धता, परिशुद्धता, पर्याप्तता और तत्परता

- आस्ति देयता प्रबंधन संगठन
 - ढांचा एवं उत्तरदायित्व
 - शीर्ष प्रबंधन की संबद्धता का स्तर
- आस्ति देयता प्रबंधन प्रक्रिया
 - जोखिम मानदंड
 - जोखिम पहचान
 - जोखिम मापन
 - जोखिम प्रबंधन
 - जोखिम नीति और सहनशक्ति स्तर

10. आस्ति देयता प्रबंधन सूचना प्रणाली

10.1 आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली को ठीक करने के लिए एक पूर्व-अपेक्षा मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का होना है। आंकड़ों का शीघ्र विश्लेषण और समामेलन करने के लिए, एमआईएस सिस्टम को कंप्यूटरीकृत करना तथा परिपक्वता असंतुलनों के संबंध में आस्तियों और देयताओं के प्रबंधन तथा उन असंतुलनों से सम्बद्ध विभिन्न जोखिमों के लिए विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है।

10.2 आस्ति देयता प्रबंधन की सहायता के लिए एक प्रबंधकीय नीति होनी चाहिए जो जोखिम संबंधी नीतियों और सहन सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख करती हो। इस कार्यढांचे को वांछित सहायता सूचना प्रणाली के साथ ठोस पद्धति पर निर्मित करने की जरूरत है क्योंकि समग्र आस्ति देयता प्रबंधन क्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिससे पर्याप्त और सही सूचना शीघ्रता के साथ उपलब्ध हो। अतः, सूचना ही आस्ति देयता प्रबंधन प्रक्रिया की कुंजी है। जोखिमों को मापने के लिए विश्व में विभिन्न प्रणालियां प्रचलित हैं। ये साधारण अंतराल विवरण से लेकर अत्यन्त जटिल और आंकड़ा गहन जोखिम समायोजित लाभप्रदता मापन पद्धतियों तक फैले हैं।

11. आस्ति देयता संगठन

11.1 क) जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए, मूलभूत परिचालनों को एकीकृत करने और जोखिम प्रबंधन के साथ रणनीतिपरक निर्णय लेने में आवास वित्त कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन की ओर से एक सुदृढ़ प्रतिबद्धता आवश्यक होगी। बोर्ड जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होना चाहिए और आवास वित्त कंपनियों की जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित करनी चाहिए तथा चलनिधि, ब्याज दर, एक्सचेंज दर और इक्विटी मूल्य जोखिम के लिए सीमाएं निश्चित करनी चाहिए।

ख) आस्ति देयता समिति जिसमें आवास वित्त कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी व मुख्य कार्यपालक अधिकारी शामिल होंगे, बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और आवास वित्त कंपनियों की कारोबारी रणनीति (आस्तियों और देयताओं के बारे में) आवास वित्त कंपनियों के बजट के अनुरूप निर्धारित करने और निर्धारित जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

ग) जोखिम प्रबंधन सहायता ग्रुप जिसमें आपरेटिंग कार्मिक होंगे, जोखिम संविभागों का विश्लेषण, मानीटरिंग करने एवं आस्ति देयता समिति को रिपोर्टिंग करने के लिए उत्तरदायी होने चाहिए। कर्मचारियों को बाजार परिस्थितियों में विभिन्न संभावित बदलावों के प्रभाव को तुलन पत्र में दर्शाते हुए पूर्वानुमान (अनुरूपण) भी तैयार करने चाहिए और आवास वित्त कंपनियों की आन्तरिक सीमाओं के पालन के लिए वांछित कार्रवाई की सिफारिश करे।

11.2 आस्ति देयता समिति निर्णय लेने वाली इकाई है जो जोखिम-रिटर्न की दृष्टि से समेकित तुलन पत्र प्रबंधन तथा ब्याज दर एवं चलनिधि जोखिमों के रणनीतिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। प्रत्येक आवास वित्त कंपनी को आस्ति देयता समिति की भूमिका, उसकी शक्तियों और उत्तरदायित्वों तथा उसके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के बारे में निर्णय करना होगा। आवास वित्त कंपनियों के कारोबार और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों से सुनिश्चित होना चाहिए कि वह बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं/मानदंडों का पालन करती है। उन व्यापारिक विषयों, जिन पर आस्ति-देयता समिति विचार करेगी, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ, जमा राशियों एवं अग्रिमों का उत्पाद मूल्य, वांछित परिपक्वता संविभाग और आस्तियों व देयताओं का वृद्धिशील मिश्रण, अन्य समान आवास वित्त कंपनियों द्वारा समान सेवाओं/उत्पादों आदि के लिए दी जा रही प्रचलित ब्याज दरें शामिल होंगी। आवास वित्त कंपनियों के जोखिम प्रबंधन स्तरों की मानीटरिंग के अतिरिक्त, आस्ति देयता समिति को पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रगति के परिणामों की समीक्षा करना चाहिए। आस्ति देयता समिति आवास वित्त कंपनियों की चालू ब्याज दर बढ़ाने पर भी विचार करेगी और भावी व्यापार रणनीति पर अपने निर्णय आधारित करेगी। वित्त पोषण नीति के संबंध में, जैसे, उसका उत्तरदायित्व स्रोतों का निर्धारण करना और देयताओं का मिश्रण या आस्तियों की बिक्री के लिये होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उसे ब्याज दर घट-बढ़ की भावी दिशा की नीति विकसित करनी होगी और निधि मिश्रणों यथा स्थिर बनाम अस्थिर दर निधियों, थोक बनाम खुदरा निधियों, पूंजी बाजार बनाम पूंजी बाजार निधियन, घरेलू बनाम विदेशी मुद्रा निधियन आदि के बारे में निर्णय करना होगा। प्रत्येक आवास वित्त कंपनी को अपनी आस्ति देयता समिति की बैठकों की अवधिकता तय करनी होगी।

11.3 आस्ति देयता समिति का गठन

आस्ति देयता समिति का आकार (सदस्यों की संख्या) प्रत्येक संस्थान के आकार, समस्त कारोबार और संगठनात्मक जटिलता पर निर्भर करेगा। उच्चस्थ प्रबंधन की वचनबद्धता और बाजार की गतिशीलता के अनुसार समय पर कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष या कार्यपालक निदेशक को समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। निवेश, ऋण संसाधन प्रबंधन या विनियोजन, निधियों का प्रबंधन/राजकोष, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक अनुसंधान के प्रमुख समिति के सदस्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी प्रभाग के अध्यक्ष को भी एमआईएस तथा संबंधित कंप्यूटरीकरण तैयार करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। बड़ी आवास वित्त कंपनियों में उप समितियां और सहायता ग्रुप भी हो सकते हैं।

11.4 निदेशकों की समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति या बोर्ड द्वारा गठित कोई अन्य विशेष समिति को आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन की निगरानी करना चाहिए और उसके कार्यों की आवधिक समीक्षा करना चाहिए ।

11.5 आस्ति देयता प्रक्रिया

आस्ति देयता प्रबंधन कार्यों के क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है :

- चलनिधि जोखिम प्रबंधन
- बाजार जोखिम प्रबंधन
- निधियन और पूंजी विनियोजन
- लाभ नियोजन एवं संवर्धन कार्यक्रम
- पूर्वानुमान और विशलेषण 'क्या यदि परिदृश्य' और आकस्मिक योजनाएं तैयार करना

इस नोट में उल्लिखित दिशानिर्देश मुख्यतः चल निधि और ब्याज दर जोखिम से संबंधित हैं ।

12. चलनिधि जोखिम प्रबंधन

12.1 आवास वित्त कंपनियों के प्रभावशाली परिचालन के लिए चलनिधि का मापन एवं प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है । आवास वित्त कंपनियों की देयताओं को पूरा करने जब वे देय हों, की क्षमता को सुनिश्चित करके, चलनिधि प्रबंधन कोई प्रतिकूल परिस्थितियों की संभावना को कम कर सकती है । चलनिधि का महत्व किसी संस्थान से बढ़ कर होता है क्योंकि किसी एक संस्थान में चलनिधि की कमी पूरे सिस्टम पर प्रभाव डाल सकती है । आवास वित्त कंपनियों के प्रबंधन को आवास वित्त कंपनियों की चलनिधि की जरूरतों की मांग को दिन प्रतिदिन के आधार पर मापन ही नहीं करना चाहिए बल्कि यह जांच भी करना चाहिए कि चलनिधि की मांग अलग-अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से होने की संभावना है । अनुभव से देखा गया है कि आस्तियों को सामान्यता चलनिधि माना जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियां तथा अन्य पूंजी बाजार की लिखतें, जो अतरल भी हो सकती हैं जब बाजार और कारोबारी एक ही दिशा में जाने लगे । अतः चलनिधि पर परिपक्वता या नकदी प्रवाह असंतुलन के अनुसार ध्यान रखना होगा । निवल निधियन मांगों को मापने और प्रबंधन के लिए, परिपक्वता की श्रृंखला और चयनित परिपक्वता तारीखों पर समेकित अतिरिक्त या अभाव निधियों की गणना करने का यह एक मानक उपकरण है । ढांचागत चलनिधि की विवरणी का फार्मेट अनुलग्नक-1 पर दिया गया है ।

12.2 परिपक्वता प्रोफाइल, जैसाकि परिशिष्ट I में दिया गया है, का प्रयोग आवास वित्त कंपनियों के भावी नकदी प्रवाह को विभिन्न समयावधियों में मापने के लिए किया जा सकता है । समयावधियों निम्नानुसार बांटा जा सकता है:

- i. 1 दिन से 14 दिन तक
- ii. 14 दिन से अधिक एक माह तक
- iii. एक माह से अधिक और 2 माह तक

- iv. 2 माह से अधिक और 3 माह तक
- v. 3 माह से अधिक और 6 माह तक
- vi. 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक
- vii. 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक
- viii. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक
- ix. 5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक
- x. 7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
- xi. 10 वर्ष से अधिक

12.3 सार्वजनिक जमाराशियों को रखने वाली आवास वित्त कंपनियों के लिए अपनी जमाराशियों का एक निर्धारित प्रतिशत, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29बी के तहत अर्थसुलभ आस्तियों की अपेक्षाओं के अनुसार, अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। अतः विभिन्न आवास वित्त कंपनियां अपनी निवेश संविभाग प्रतिभूतियों में जिसे मोटेतौर से 'अनिवार्य प्रतिभूतियां' (कानून के तहत) और अन्य 'गैर-अनिवार्य प्रतिभूतियां' वर्गीकृत किया जा सकता है, धारण किये रहेंगी। जमा राशियां रखने वाली आवास वित्त कंपनियों को अनिवार्य प्रतिभूतियों को अपनी सुविधानुसार किसी भी समयावधि में रखने की छूट दी जा सकती है। सूचीबद्ध गैर-अनिवार्य प्रतिभूतियां '1 दिन से 14 दिन तक-', '14 दिन से अधिक एक माह तक', 'एक माह से अधिक और 2 माह तक' और 'दो माह से अधिक और 3 माह तक' की किसी भी समयावधि में, आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तावित विफलकरण की अवधि के अनुसार, रखी जा सकती हैं। गैर-सूचीबद्ध गैर-अनिवार्य प्रतिभूतियों को (जैसे इक्विटी शेयर, प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता का निर्धारित समय न हो आदि) '10 वर्ष से अधिक' की समयावधि में रखा जा सकता है जबकि परिपक्वता की निश्चित अवधि वाली गैर-सूचीबद्ध गैर-अनिवार्य प्रतिभूतियों को उनकी शेष अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में रखा जा सकता है। अनिवार्य प्रतिभूतियों और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के प्रयोजनार्थ बाजार को चिन्हित की जा सकती हैं। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों को विवेक सम्मत मानदंडों के अनुसार मूल्यांकित किया जा सकता है।

12.4 विकल्प में, आवास वित्त कंपनियां 'ट्रेडिंग बुक' की संकल्पना का भी पालन कर सकती हैं जो निम्नानुसार है :

- i) गठन और मात्रा को स्पष्ट परिभाषित किया जाता है,
- ii) व्यापार संविभाग की अधिकतम परिपक्वता/अवधि प्रतिबंधित होती है,
- iii) धारिता की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होती है,
- iv) अधिकतमक हानि की सीमा निर्दिष्ट होती है,

- v) उत्पाद क्रम से विफलीकरण अवधियां (अर्थात् गौण बाजार में चलनिधि के आधार पर स्थिति को समाप्त करने के लिए दिया गया समय) निर्दिष्ट होता है ।

आवास वित्त कंपनियों जो प्रतिभूतियों के लिए ऐसी 'ट्रेडिंग बुक' रखती हैं जो उपर्युक्त मानकों का अनुपालन करती हैं, वे ट्रेडिंग प्रतिभूतियों को '1 दिन से 14 दिन', '14 दिन से अधिक और एक माह तक', 'एक माह से अधिक और 2 माह तक' और '2 माह से अधिक और 3 माह तक' की समय सीमा में विफलीकरण अवधि के आधार पर दर्शा सकती हैं । आवास वित्त कंपनियों के बोर्ड/आस्ति देयता समिति को 'ट्रेडिंग बुक' की मात्रा, संरचना, अधिकतमक परिपक्वता/अवधि, धारिता/विफलीकरण अवधि, हानि सीमा आदि का अनुमोदन करना चाहिए । शेष निवेश को भी विवेकसम्मत मानदंडों के तहत अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेशों में विभाजित करना चाहिए ।

12.5 आवास वित्त कंपनियों द्वारा आस्ति देयता प्रबंधन के लिये निवेश संविभाग पर कार्रवाई और उनके बोर्ड/आस्ति देयता समिति द्वारा अनुमोदित, के बारे में स्वीकृत नीतिगत नोट की प्रतिलिपि भी राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रेषित की जाए ।

12.6 प्रत्येक समयावधि में, नकदी प्रवाहों और बाह्य प्रवाहों पर निर्भर करते हुए असंतुलन हो सकते हैं । जबकि एक वर्ष तक के असंतुलन संगत होंगे क्योंकि ये चलनिधि संबंधी भावी समस्याओं का शीघ्र चेतावनी संकेत देते हैं, वहीं मुख्य रूप से ध्यान अल्पावधि असंतुलन अर्थात् अर्थात् '1 दिन से 14 दिन तक' और '14 दिन से अधिक एक माह तक' की ओर होना चाहिए । हालांकि, आवास वित्त कंपनियों से आशा की जाती है कि वे अपने बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन से आंतरिक विवेक सम्मत सीमाओं को स्थापित करके सभी समय सीमाओं में अपने समेकित असंतुलनों (कुल योग) की निगरानी करेंगी । सामान्य रूप से '1 दिन से 14 दिन तक' और '14 दिन से अधिक एक माह तक' के दौरान असंतुलन (नकारात्मक अंतराल) इस समय सीमा में नकदी प्रवाह के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

12.7 ढांचागत चलनिधि विवरणी (अनुलग्नक I) परिपक्वता सोपान में सभी नकदी प्रवाहों और बाह्य प्रवाहों को नकदी प्रवाहों की अनुमानित अवधि के अनुसार दर्शा कर तैयार करनी चाहिए । परिपक्वता देयता नकदी बाह्य प्रवाह होगा जबकि परिपक्व हो रही आस्ति नकदी अन्तः प्रवाह होगा । संभावित नकदी अन्तः प्रवाह/बाह्य प्रवाह का निर्धारण करते समय, आवास वित्त कंपनियों को अपने आस्ति देयता संविभाग के अनुसार अनेक अनुमान लगाने होंगे । छूट स्तरों का निर्धारण करते समय, आवास वित्त कंपनियां अपने आस्ति-देयता आधार, कारोबार की प्रकृति, भावी रणनीतियों आदि के आधार पर सभी संगत कारणों को शामिल कर सकती हैं । राष्ट्रीय आवास बैंक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि छूट सीमाओं का निर्धारण सभी आवश्यक कारकों को ध्यान में रखकर किया जाये और बाद में चलनिधि प्रबंधन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर संशोधित किया जाये ।

12.8 आवास वित्त कंपनियों को 1 दिन से 6 माह तक की समय सीमा में गतिशील आधार पर अपनी अल्पकालिक चलनिधि की निगरानी करने में समर्थ बनाने के लिए, आवास वित्त कंपनियां अपने अल्पकालिक संविभाग का आकलन अपने व्यापार की संभावनाओं तथा नियोजन के उद्देश्य से की गई अन्य वचन बद्धताओं के आधार पर कर सकती हैं । अल्पकालिक गतिशील चलनिधि का अनुमान लगाने के लिए एक सांकेतिक फार्मेट (अनुलग्नक II) संलग्न किया गया है ।

13. मुद्रा जोखिम

फ्लोटिंग विनिमय दर व्यवस्था के कारण एक नई घोषित अस्थिरता आ गई है जो विदेशी आस्तियां या देयताएं रखने वाली आवास वित्त कंपनियों के तुलन पत्र में एक नई जोखिम मद शामिल हो गई है। मुक्त अर्थव्यवस्थाओं में अ-विनियमन के कारण वृद्धित नकदी प्रवाह के फलस्वरूप कारोबार की मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई है। देश के बाहर से नकदी प्रवाह व अस्थिरता के कारण आवास वित्त कंपनियों के तुलन पत्र विनिमय दर उतार-चढ़ाव से प्रभावित होने लगे हैं।

14. ब्याज दर जोखिम

14.1 अधिकांश आस्तियों एवं देयता के मूल्यन में आवास वित्त कंपनियों को दिए गए परिचालन संबंधी लचीलेपन का निहितार्थ ब्याज दर की प्रतिरक्षा के लिए एक वित्तीयप्रणाली की जरूरत होती है। ब्याज दर जोखिम एक ऐसा जोखिम है जहां बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन किसी भी आवास वित्त कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ब्याज दरों में परिवर्तनों का तुरंत प्रभाव आवास वित्त कंपनियों की आय (अर्थात् दर्शाए लाभ) पर उनकी निवल ब्याज आय में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों में परिवर्तन से एक दीर्घकालीन प्रभाव आवास वित्त कंपनी की इक्विटी के बाजार मूल्य या निवल धन पर होता है, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में अंतर के कारण, दायित्वों और तुलन-पत्र से बाहर की मदों होता है। ब्याज दर जोखिम को जब इन दोनों परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तब इसे क्रमशः अर्जन परिप्रेक्ष्य और आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। अर्जन परिप्रेक्ष्य से जोखिम को ब्याज दर आय में या निवल ब्याज मार्जिन में परिवर्तन के रूप में आंका जा सकता है। ब्याज दर जोखिम को आंकने और उसके प्रबंधन के लिए बहुत विश्लेषणात्मक तकनीकें हैं। प्रारंभ करने के लिए, पारम्परिक गैप विश्लेषण को आस्तित्व देयता प्रबंधन प्रणाली में प्रारम्भिक चरण में ब्याज दर जोखिम को मापने के लिए एक उपयुक्त तकनीक माना गया है। रा.आ.बैंक ब्याज दर जोखिम मापन की आधुनिक तकनीकों जैसे अवधि गैप विश्लेषण, स्टीम्यूलेशन एवं जोखिम मूल्य, अपनाना चाहता है जब आवास वित्त कंपनियां एमआईएस को अपनाने तथा हैंडलिंग में पर्याप्त निपुणता और आधुनिक तकनीकें अपना लेती हैं।

14.2 गैप या असंतुलन जोखिम को किसी एक निर्धारित तारीख पर विभिन्न समय गैपों पर गणना करके मापा जा सकता है। गैप विश्लेषण दर संवेदनशीलता देयताओं और दर संवेदनशीलता आस्तियों, तुलन पत्र से अलग परिस्थितियों सहित, के बीच असंतुलन को मापता है। किसी आस्तित्व या देयता को आमतौर से दर संवेदनशीलता के रूप में इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है यदि :

- i) विचाराधीन स्थिति में समय अंतराल में, जो नकदी प्रवाह होता है,
- ii) अंतराल के दौरान ब्याज दर पुनः निर्धारण/अनुबंधगत पुनःमूल्यांकन।
- iii) यह अनुबंधगत उल्लिखित परिपक्वता से पूर्व पूर्व-देय या आहरणीय है,
- iv) यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में परिवर्तनों से स्वतंत्र है।

14.3 गैप रिपोर्ट शेष परिपक्वता अवधि या आगामी पुनर्मूल्यन अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार दर संवेदनशीलता देयताओं, आस्तियों और तुलन पत्र से अलग मदों की स्थिति के अनुसार समयावधियों में गुप बनाकर तैयार करनी चाहिए। सभी निवेश, अग्रिम, जमा राशियां, ऋण, क्रय की गई निधियां आदि जो उल्लिखित समय ढांचे में परिपक्व/पुनर्मूल्यांकित हो जाती हैं, ब्याज दर संवेदनशील होती हैं। इसी प्रकार, ऋण की मूल राशि भी दर संवेदनशील होती है यदि आवास वित्त कंपनी उसे निर्दिष्ट समय में प्राप्त करने की आशा करती है। इसमें मूल धन की अंतिम किस्त और अंतरिम किस्तें शामिल होती हैं। कुछ आस्तियों और देयताओं की फ्लोटिंग ब्याज दर होती है जो

ब्याज दरों में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है और अतएव, उन मदों को पूर्व-निर्धारित अंतरालों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है। ऐसी आस्तियां और देयताएं पुनर्मूल्यन के समय ब्याज दर संवेदनशील होती हैं। जबकि सावधि जमाओं पर ब्याज दरें आमतौर से उसकी अवधि में स्थिर रहती है, अग्रिमों की राशियां मूलतः फ्लोटिंग दर वाली होती हैं। अग्रिमों पर ब्याज दरों का निर्धारण, प्राथमिक उधार दर में परिवर्तनों के साथ कितनी ही बार किया जा सकता है।

ब्याज दर अंतराल निम्नलिखित समयावधियों में पहचाना जा सकता है :

- i. 1 दिन से 14 दिन तक
- ii. 14 दिन से एक माह तक
- iii. एक माह से अधिक 2 माह तक
- iv. 2 माह से अधिक 3 माह तक
- v. 3 माह से अधिक 6 माह तक
- vi. 6 माह से अधिक 1 वर्ष तक
- vii. 1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक
- viii. 3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक
- ix. 5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक
- x. 7 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक
- xi. 10 वर्ष से अधिक
- xii. अ-संवेदनशील

ब्याज दर संवेदनशील आस्तियां और देयताएं तथा तुलन पत्र से अलग मदों की विभिन्न मदों विभिन्न समयावधियों जैसेकि परिशिष्ट II में वर्णित किया गया है, में वर्गीकृत किया जा सकता है और अल्पकालिक गतिशील चलनिधि और ब्याज दर संवेदनशीलता के रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्रमशः अनुलग्नक II और अनुलग्नक III पर दिये गए हैं।

14.4 गैप प्रत्येक समयावधि की दर संवेदनशील आस्तियों और दर संवेदनशील देयताओं के बीच अंतर होता है। सकारात्मक गैप दर्शाता है कि उसमें दर संवेदनशील देयताओं की अपेक्षा दर संवेदनशील आस्तियां अधिक हैं जबकि नकारात्मक गैप दर्शाता है कि उसमें दर संवेदनशील देयताएं अधिक हैं। गैप रिपोर्टें दर्शाती हैं कि क्या संस्थान सकारात्मक गैप (आरएसए > आरएसएल) के कारण बढ़ी ब्याज दरों से लाभ की स्थिति में होगा या वह नकारात्मक गैप (आरएसएल > आरएसए) के कारण ब्याज दरों से असम्बद्ध रहकर लाभ की स्थिति में होगा। अतः गैप को ब्याज दर संवेदनशीलता को मापने के लिये किया जा सकता है।


14.5 प्रत्येक आवास वित्त कंपनी को अपने बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन से विभिन्न समयावधियों में प्रत्येक गैप पर विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। उन विवेकसम्मत सीमाओं का संबंध कुल आस्तियों, अर्जनकारी आस्तियों या इक्विटी से होना चाहिए। ब्याज दर गैप सीमाओं के अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनियां अपने बोर्ड/आस्ति देयता समिति के अनुमोदन से ब्याज दर घटबढ़ पर अपने मतानुसार जोखिम पर अर्जन या निवल ब्याज मार्जिन के रूप में विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित कर सकती हैं।

15. सामान्य

15.1 गैप रिपोर्टें (चलनिधि और ब्याज दर संवेदनशीलता) तैयार करने के लिए आस्तियों और देयताओं के विभिन्न घटकों का भिन्न समयावधियों में वर्गीकरण जैसाकि परिशिष्टों I और II में दर्शाया गया है, बेंचमार्क होता है। आवास वित्त कंपनियां जो आस्तियों और देयताओं के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति को पिछले डाटा/अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर अधिक अच्छी तरह समझ सकती हैं अतः वे उन्हें उपयुक्त समयावधियों में वर्गीकृत कर सकती हैं, बशर्ते आस्ति देयता समिति/बोर्ड से अनुमोदित हो। आस्ति देयता समिति/बोर्ड द्वारा अनुमोदित नोट की प्रतिलिपि रा.आ. बैंक को भेजी जा सकती है।

15.2 वर्तमान कार्यवाहों में जमाओं और ऋणों एवं अग्रिमों के समय पूर्व भुगतान से आवास वित्त कंपनियों की चलनिधि और ब्याज दर जोखिम संविभाग पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बाजार में अस्थिरता के दौरान जमा राशियों के समय-पूर्व आहरण का प्रभाव पड़ता है जबकि ब्याज दरें काफी स्थिर रहती हैं। अतः आवास वित्त कंपनियों को आस्तियों, देयताओं तथा तुलन पत्र से इतर मदों की भावी प्रवृत्ति का अनुमान, विश्लेषण और अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर व बाजार में अस्थिरता को दृष्टिगत रखते हुए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए तथा विकल्पों की संभावनाओं का अनुमान लगाना चाहिए।

15.3 उपलब्ध निधियों और प्रयुक्त निधियों की चालू बाजार दरों के आधार मूल्य निर्धारण करके वैज्ञानिक दृष्टि से तैयार आन्तरिक अंतरण मूल्यन मॉडल आस्ति देयता प्रबंध प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अंतरण मूल्यन तंत्र मार्जिन प्रबंधन की वृद्धि कर सकता है अर्थात् ऋण या ऋण संवितरण विस्तार, वित्त पोषण या देयता विस्तार और असंतुलन विस्तार। यह ब्याज दर जोखिम एक स्थान पर केन्द्रित कर देता है जिससे ब्याज दर जोखिम पर प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन में सुविधा होगी। एक सुपरिभाषित अंतरण मूल्यन प्रणाली आस्तियों और देयताओं के मूल्यन के लिए एक युक्तिसंगत ढांचा भी उपलब्ध कराती है।



ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण

लेखा शीर्ष	दर संवेदनशीलता की समयावधियां
क. देयताएं	
1. पूंजी, रिजर्व एवं अधिशेष	असंवेदनशील
2. उपहार, अनुदान एवं दान	असंवेदनशील
3. नोट्स, बांड एवं डिबेंचर:	
क) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; रोलओवर/पुनर्मूल्यन की तारीख पर पुनर्मूल्यन, पुनर्मूल्यन तारीखों के अनुसार संबंधित समयावधि में रखना चाहिए।
ख) स्थिर दर (प्लेन वनीला) तथा जीरो कूपन	संवेदनशील; परिपक्वता पर पुनर्मूल्यन। उस लिखत की परिपक्वता की शेष अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में रखा जाए।
ग) विकल्पों के साथ लिखतें	संवेदनशील; विकल्प अपनाने की तारीख पर पुनर्मूल्यन हो सकता है, विशेषतया ब्याज बढ़ने की स्थिति में। शेष अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में उसके बाद आने वाली तारीख तक रखा जाए।
4. जमाराशियां :	
क) जमा राशियां/ऋण	
i) स्थिर दर	संवेदनशील; परिपक्वता पर या समय पूर्व आहरण की अनुमति दिये जाने पर, लॉक-इन अवधि के बाद, यदि कोई हो, जो उस आहरण के लिए उल्लिखित हो, पुनर्मूल्यन हो सकता है। परिपक्वता की शेष अवधि या शेष लॉक-इन अवधि के अनुसार, जो भी मामला हो, संबंधित समयावधि में रखा जाए। परिपक्वता पूर्व आहरणीय जमा राशियां जिनमें कोई लॉक-इन अवधि न हो या लॉक-इन की वह अवधि बीत गई हो, सबसे पहले/कम अवधि में रखा जाए।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; अनुबंधगत रोल-ओवर दिनांक पर पुनर्मूल्यांकन। शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार

	संबंधित समयावधि में पहले आने वाली पुनर्मूल्यन की अगली तारीख से पहले तक रखा जाए।
ख) आईसीडी	संवेदनशील; परिपक्वता पर पुनर्मूल्यन । शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में रखा जाए।
5. ऋण	
क) सावधि ऋण	संवेदनशील; परिपक्वता पर पुनर्मूल्यन । शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में रखा जाए।
ख) अन्यो से ऋण	
i) स्थिर दर	संवेदनशील; परिपक्वता पर पुनर्मूल्यन । शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में रखा जाए।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; रोलओवर पर पुनर्मूल्यन/पुनर्मूल्यन तारीख । पुनर्मूल्यन तारीख से शेष अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में रखा जाए।
6. चालू देयताएं एवं प्रावधान	
क) फुटकर ऋणी	अ-संवेदनशील
ख) देय व्यय	
ग) स्वैप समंजन लेखा	
घ) प्राप्त अग्रिम आय/समंजन के लिये लंबित ऋणियों से प्राप्तियां	
7. रिपॉज/बिल पुनःबट्टाकृत/फोरेक्स-रुपया स्वैप (विक्रय/क्रय)	संवेदनशील : परिपक्वता पर पुनर्मूल्यन । पिछले लेनदेन की शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में रखा जाए।

ख. आस्तियां

1. नकदी	अ-संवेदनशील
---------	-------------

2. मार्गस्थ विप्रेषण	अ-संवेदनशील
3. भारत में बैंकों में जमा शेष क) चालू खाते में ख) जमा खातों में, मांग और अल्पकालीन नोटिस में तथा अन्य जमाओं में राशि	अ-संवेदनशील संवेदनशील; परिपक्वता पर पुनर्मूल्यन । शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में रखा जाए।
4. निवेश	
क) सावधि आय प्रतिभूतियां (यथा सरकारी प्रतिभूतियां, जीरो कूपन बांड, बांड, डिबेंचर, समेकित/गैर- समेकित मोचनीय अधिमान शेयर	परिपक्वता पर संवेदनशील । शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार संबंधित समयावधि में रखा जाए। हालांकि, ब्याज न होने के कारण एनपीए मानदंड लागू करके मूल्यांकित किये बांडों/डिबेंचरों को परिशिष्ट I में मद बी.7(क) व बी.7(ख) पर उल्लिखित समयावधि में किये गए प्रावधानों के निवल को दर्शाना चाहिए ।
ख) फ्लोटिंग दर प्रतिभूतियां	संवेदनशील; अगली पुनर्मूल्यन तारीख पर पुनर्मूल्यन। पुनर्मूल्यन तारीख की शेष अवधि के अनुसार समयावधि में रखा जाए।
ग) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय अधिमान शेयर, गौड़/संयुक्त उद्यमों के शेयर, उद्यम पूंजी यूनितें	अ-संवेदनशील
5. अग्रिम (निष्पादनीय)	
क) एक्सचेंज बिल, प्रोनोट बट्टा और पुनः बट्टा	परिपक्वता पर संवेदनशील । विचाराधीन बिलों के प्रयोग की शेष अवधि के अनुसार समयावधि में रखा जाए।
ख) सावधि ऋण/कारपोरेट ऋण/अल्पकालीन ऋण (रुपये के ऋण केवल) i) स्थिर दर ii) फ्लोटिंग दर	नकदी प्रवाह/परिपक्वता पर संवेदनशील केवल तभी संवेदनशील जब आवास वित्त कंपनियों द्वारा जोखिम प्रीमियम को बदला जाता है। सावधि ऋणों की राशि उस समयावधि में रखनी चाहिए जो आवास वित्त कंपनियों को बाजार ब्याज दरों के अनुसार अपने पीएलआर में संशोधन करने में लगे समय के बाद आती

	हो।
6. गैर-निष्पादित ऋण (ईसीजीसी से प्राप्त ब्याज उचंत और दावों के प्रावधानों का निवल)	
क) उप-मानक ख) संदिग्ध एवं हानि	परिशिष्ट I में मद बी.7(क) व बी.7(ख) पर उल्लिखित समयावधि में रखा जाए।
7. पट्टे पर आस्तियां	पट्टाधीन आस्तियों पर नकदी प्रवाह ब्याज दरों में बदलाव से प्रभावित होता है। पट्टाधीन आस्तियों पर कुल नकदी प्रवाह की राशि नकदी प्रवाह के समयानुसार संबंधित समयावधि में रखा जाए।
8. अचल आस्तियां (पट्टे पर आस्तियां को छोड़कर)	अ-संवेदनशील
9. अन्य आस्तियां क) अमूर्त आस्तियां एवं मर्दे जो नकदी प्रवाह से संबंधित नहीं हैं। ख) अन्य मर्दे (जैसे प्रोदभूत आय, अन्य प्राप्य, स्टाफ ऋण आदि)	अ-संवेदनशील अ-संवेदनशील
10. रिवर्स रिपाज/स्वैप (क्रय/विक्रय)/बिल पुनः बट्टाकृत (व्युत्पन्न मीयादी वचन पत्र)	परिपक्वता पर संवेदनशील । विचाराधीन लेनदेन की शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार समयावधि में रखा जाए।
11. अन्य (ब्याज दर) उत्पाद क) ब्याज दर स्वैप/एफआरए ख) अन्य व्युत्पन्न	संवेदनशील; शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार संबंधित समयावधियों में रखा जाए। जब कभी शुरू किया जाए तभी ठीक प्रकार वर्गीकृत किया जाए ।